

	<p>(अ) मार्केटों, भोजनालयों, मेलों और त्योहारों में माल की बिक्री पर शुल्क;</p> <p>(ब) ग्राम परिषद के प्रबन्धन के अन्तर्गत पशुओं के चरागाह में चरने के लिए शुल्क;</p> <p>(ट) गाँव में फसलों को पहरेदारी करने हेतु शुल्क;</p> <p>(ठ) सार्वजनिक फेरी लगाने हेतु शुल्क ।</p> <p>(2) उप धारा (1) में निर्दिष्ट कर और शुल्क को ऐसे तरीके से जैसा इस समय निर्धारित किया गया है, लगाया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा और वसूला जाएगा ।</p>	
	<p>37. कोई भी व्यक्ति जो धारा 36 के अन्तर्गत निर्धारण, उगाही अथवा कर अथवा शुल्क के लागू करने से दुखी है, वह ऐसे कर अथवा शुल्क लागू किए जाने के आदेश जारी करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर सहायक आयुक्त को अपील कर सकते हैं ।</p>	उगाही अथवा कर के खिलाफ अपील
	<p>38. उपायुक्त सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके धारा 36 के अधीन उगाही और लागू किए गए कर अथवा शुल्क को रोक सकते हैं और किसी भी समय इसी प्रकार इस रोक को हटा भी सकते हैं ।</p>	कर अथवा शुल्क की उगाही पर रोक
	<p>39. सार्वजनिक नीलामी अथवा निजी अनुबंध द्वारा पट्टे पर देना ग्राम परिषद के लिए विधियुक्त होगा, यदि धारा 36 के अन्तर्गत इस प्रकार शुल्क लगाया गया हो तो मार्केटों और बाजारों से शुल्क एकत्रित किया जाएगा ।</p> <p>बशर्ते कि पट्टे पर लेने वालों को पट्टे अथवा अनुबंध की शर्तों को पूरा करने हेतु जमानत जमा देना होगा ।</p>	मार्केट आदि को पट्टे पर देना
	<p>40. (1) जब ग्राम परिषद को देय कोई कर अथवा शुल्क बकाया हो तो ग्राम परिषद को जहाँ तक हो सके उस व्यक्ति को भुगतान हेतु एक सूचना भेजनी होगी, उस व्यक्ति से जो बकाया राशि प्राप्त होना है इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में एक डिमांड सूचना भेजनी होगी और उस व्यक्ति को इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उस राशि का भुगतान करना होगा ।</p> <p>(2) उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक माँग की सूचना निर्धारित अनुसार दिया जाना होगा ।</p>	करों और अन्य बकायों की वसूली